कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 1462/सम्भल/14361/यूपी–152/2015, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 13, 2016

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषय : सम्भल में आगरा–मुरादाबाद मार्ग (एन0एच0–93) किमी0 146 की बायीं पटरी पर ग्राम–रसूलपुर के खसरा सं0–149 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 25 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : आपके कार्यालय का पत्रांक–4391/22–2, दिनांक 07.01.16

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें/अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– एन0एच0ए0आई0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रस्ताव के मूल हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। सील सहित मूल हस्ताक्षर अंकित करने का कष्ट करें।

3– प्रस्तावित वनभूमि को संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है।

4– परियोजना की स्वीकृति की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है।

5– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन सुसंगत नहीं है। 100 पौधों के रोपण एवं शतप्रतिशत सुरक्षा के दृष्टिकोण से 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

7– क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है। प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

8– प्रस्तावित वनभूमि की एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता में भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर उक्त बढ़ी हुई धनराशि जमा किये जाने का उल्लेख अंकित नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित संशोधित वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न करने का कष्ट करें।

9– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–4 पर प्रभावित वृक्षों की संख्या शून्य है। प्रपत्र के भाग–1 में बिन्दु–1(1), भाग–2 के बिन्दु–7(7) एवं पृष्ठ–30 पर संलग्न अभिलेख पर 14 वृक्ष एवं 11 पौधों के पातन का उल्लेख किया गया है, जबकि पृष्ठ–23 पर संलग्न अभिलेख में 14 वृक्षों के पातन का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 09 पौध 0–1 व 1–2 व्यासवर्ग के हैं। क्या इस व्यास श्रेणी के पौधों को वृक्ष की संज्ञा दिया जाना औचित्यपूर्ण है। यदि नहीं तो तद्नुसार अभिलेखों को संशोधित करें।

10– एन0एच0ए0आई0 की अनापत्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

11– मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

12– पावर ऑफ अटार्नी की प्रमाणित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

13– प्रस्ताव के समस्त पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित कर विषय–सूची संलग्न नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा चिन्हित सूचनाओं/अभिलेखों को ऑनलाइन/ऑफ लाइन पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
13/1/16

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पत्रांक– 1462 / ,उक्तदिनांक</u>

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, यूपी(वेस्ट) एस्सार ऑयल लि0, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार चिन्हित सूचना/अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

13/1/16

(डा0 राजीव कुमार गर्ग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।